



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062024-254623
CG-DL-E-08062024-254623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946

No. 296]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2024

सा.का.नि. 317(अ)—केंद्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 की उपधारा (गग) और उपधारा (गघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (जुमनि का न्यायनिर्णयन) नियम, 2024 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) "अधिनियम" से चलचित्र अधिनियम, 1952 अभिप्रेत है ;

(ii) "प्राधिकृत अधिकारी" से नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(iii) "अपील प्राधिकारी" से नियम 8 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है ; और

(iv) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति—(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा, इतनी संख्या में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो, को अधिनियम के उपबंधों के अधीन जुर्माने के न्यायनिर्णयन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, राज्य सरकार के इतने अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर कलेक्टर या जिला के अपर उपायुक्त या राज्य सरकार में अवर सचिव के पद से नीचे के नहीं हों, अधिनियम के उपबंधों के अधीन जुर्माना तय करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में की नियुक्ति कर सकती है।

4. प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियाँ—प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा अर्थात् :—

- (i) प्रदर्शनी स्थल में प्रवेश करना या किसी अधिकारी को प्रदर्शनी स्थल में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करना और उल्लंघन, यदि कोई हो, की रिपोर्ट करना;
- (ii) लिखित में कारण दर्ज करते हुए तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुलाना और मामले की परिस्थितियों के पश्चात् उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना; और
- (iii) साक्ष्य के लिए आदेश देना, जिसमें वीडियो निगरानी फुटेज, टिकट स्केन या कोई दस्तावेज तैयार करना शामिल है, जो प्राधिकृत अधिकारी की राय में सुसंगत हो सकता है।

5. जुर्माने के न्यायनिर्णयन के लिए विचार किए जाने वाले कारक—जुर्माने की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, प्राधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित कारकों का उचित ध्यान रखना होगा, अर्थात्

- (i) उल्लंघन की प्रकृति,
- (ii) अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां उल्लंघन का परिणाम है; और
- (iii) उल्लंघन की पुनरावृत्ति,
- (iv) कठिनाइयों का संतुलन।

6. जुर्माना लगाने की प्रक्रिया—

(1) जुर्माने का न्यायनिर्णयन करने से पहले, प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति को, जो व्यतिक्रम करता है, ऐसी अवधि के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस (पंद्रह दिन से कम नहीं और उस पर सेवा की तारीख से तीस दिन से अनधिक), जारी करेगा जिसके लिए उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक नोटिस,-

- (i) अधिकथित उल्लंघन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से इंगित करें, जो अधिनियम के अधीन व्यक्ति द्वारा कारित किया गया हो या किया गया हो; और
- (ii) अधिनियम के सुसंगत जुर्माने के उपबंध पर ध्यान आकर्षित करें।

(3) कारण बताओ नोटिस का उत्तर उस अवधि के भीतर फाइल किया जाएगा, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित कारणों से, पंद्रह दिन की अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान करता है कि ऐसे व्यक्ति के पास निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का प्रत्युत्तर न देने के लिए पर्याप्त कारण है या यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति ने कम समय में नोटिस को प्राप्त किया है और प्रत्युत्तर देने के लिए उचित समय नहीं है।

(4) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् यह प्राधिकृत अधिकारी की राय है कि वास्तविक उपस्थिति अपेक्षित है, प्राधिकृत अधिकारी उत्तर की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर एक नोटिस जारी करेगा, व्यक्ति की उपस्थिति की तारीख को या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधित्व के माध्यम से नियत करेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधित्व के माध्यम से मौखिक प्रतिनिधित्व करता है और कारण बताओ नोटिस के उत्तर में इसे इंगित किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को उपस्थित होने की तारीख नियत करने के पश्चात् ऐसा प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(6) सुनवाई के लिए नियत तारीख पर व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी लिखित में कारणों के अधीन, लिखित में एक आदेश पारित करेगा, जिसमें स्थगन आदेश भी शामिल है।

(7) सुनवाई के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी संबंधित व्यक्ति से उल्लंघन की अवधारणा के सुसंगत किन्हीं अन्य मुद्दों पर लिखित उत्तर की मांग कर सकता है।

(8) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने में विफल रहता है या उपधारा (5) के अधीन अपेक्षानुसार उपस्थित होने से मना कर देता है, प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात् ऐसा न होने पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित कर सकता है।

7. जुर्माने के आदेश का पारित होना एवं प्रकटीकरण--(1) प्राधिकृत अधिकारी नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन नोटिस जारी होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर जुर्माना तय करके आदेश पारित करेगा।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई आदेश पारित किया जाता है, तो लिखित में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा देरी के कारण बताए जाएंगे।

(3) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में देरी के कारण अमान्य नहीं होगा।

(4) प्राधिकृत अधिकारी का प्रत्येक आदेश विधिवत दिनांकित और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और नियम 6 के उपनियम (4) के अधीन वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता के कारण न्यायनिर्णयन के आधार सहित सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताएगा।

(5) प्राधिकृत अधिकारी उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति बिना किसी विलंब के निम्नलिखित पक्षकारों को भेजेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसा संबंधित व्यक्ति, जो उल्लंघन कर रहा है या उल्लंघन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति ;

(ख) अधिनियम की धारा 11 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ; और

(ग) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष।

(6) उपनियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश की एक प्रति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

8. अपील अधिकारी

(1) नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन पारित किसी प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की गई कोई अपील केंद्रीय सरकार (जहां प्राधिकृत अधिकारी अवर सचिव है) के उप सचिव या निदेशक या संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट (जहां प्राधिकृत अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट है) के समक्ष लिखित रूप में फाइल की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन फाइल की गई कोई अपील के साथ आवेदन उस आदेश की प्रमाणित प्रति की मांग की जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की मांग की गई है।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गई कोई अपील उस तारीख से तीस दिनों के भीतर फाइल की जानी चाहिए, जिसको नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए जुर्माने के आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को प्राप्त होती है और, जहां उचित हो, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारणों के साथ तीस दिन तक की देरी को माफ किया जा सकता है।

(4) उपनियम (1) के अधीन कोई भी अपील इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में, जो ऐसी फीस के साथ फाइल की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

(5) जहां पीड़ित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व एक प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकरण पत्र के रूप में ऐसे प्राधिकरण की एक प्रति और ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति, अपील के साथ संलग्न की जाएगी।

(6) इस नियम के उपनियम (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील में एक से अधिक आदेश के विरुद्ध अनुतोष की मांग नहीं की जाएगी जब तक कि अपील के अधीन मांगा गया अनुतोष परिणामी न हो।

9. अपील के लिए प्रक्रिया—

- (1) अपीलीय प्राधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील की एक प्रति के साथ एक नोटिस भेजेगा, ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को नोटिस प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन की अनधिक अवधि के भीतर उत्तर दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है।
- (2) जहां कोई अपील दोषपूर्ण पाई जाती है, अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को दोषों को सुधारने के लिए दोषों की प्रकृति के बारे में अपीलीय प्राधिकारी से सूचना प्राप्त होने की तारीख के पश्चात कम से कम चौदह दिनों की अनुमति दे सकता है।
- (3) यदि अपीलकर्ता दोषों को सुधारने में विफल रहता है, तो अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने से ऐसी अपील को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर सकता है और उप-नियम (2) के अधीन निर्दिष्ट समय की समाप्ति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को इस तरह के इनकार के बारे में सूचित कर सकता है।
- (4) अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि को इक्कीस दिनों की और अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि प्राधिकृत अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि विलंब के लिए पर्याप्त कारण था अपील का उत्तर फाइल करने में विलंब के लिए पर्याप्त कारण हो।
- (5) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फाइल किए गए प्रत्येक उत्तर, आवेदन या लिखित अभ्यावेदन की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को एक साथ दी जाएगी।
- (6) प्राधिकृत अधिकारी, अपील की सुनवाई की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व अपीलकर्ता और प्राधिकृत अधिकारी को अपील की सुनवाई का नोटिस जारी करेगा।
- (7) अपील प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के समय, अपील के किसी भी आधार को जोड़ने की अनुमति दे सकता है, जो उस नियम से उपाबद्ध अपील के रूप में निर्दिष्ट नहीं है यदि वह संतुष्ट है कि उस आधार का लोप जानबूझकर या अनुचित नहीं था।
- (8) अपीलीय प्राधिकारी सुनवाई के लिए एक तारीख नियत कर सकता है और ऐसी जांच करने के पश्चात, जो आवश्यक हो और अभिलिखित करने के कारणों के अध्याधीन कोई आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे।
- (9) यदि अपीलकर्ता या प्राधिकृत अधिकारी नियत तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में एक आदेश पारित कर सकता है।
- (10) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई और विनिश्चय करेगा।
- (11) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है, अपील पर विनिश्चय लेने के लिए छह मास की अवधि की गणना में उस अवधि को बाहर रखा जाएगा।
- (12) इस नियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश पर तारीख और हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (13) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रमाणित प्रति को बिना विलंब के प्राधिकृत अधिकारी, अपीलकर्ता और अध्यक्ष, फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

10. जुमाने का भुगतान करने की पद्धति—

जुमाने का भुगतान केवल ई-सिनेमाप्रमाण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

11. भारत की समेकित निधि—

अधिनियम के अधीन जुमाने के माध्यम से प्राप्त सभी रकम भारत की समेकित निधि को संदाय की जाएगी।

[नियम 8 का उपनियम (4) देखें]

अपील का प्रारूप

अपील का विवरण

तारीख... द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील का मामला...

1. अपीलकर्ता का विवरण:

(क) अपीलकर्ता का पूरा नाम:

(ख) अपीलकर्ता का पता:

(ग) अपीलकर्ता की ईमेल आईडी:

2. प्राधिकृत अधिकारी का विवरण

(क) प्राधिकृत अधिकारी का

(ख) प्राधिकृत अधिकारी का पता:

(ग) प्राधिकृत अधिकारी की ईमेल आईडी:

3. आदेश संख्या के विरुद्ध अपील

4. धारा जिसके अधीन जुर्माना लगाया गया:

5. मामले के तथ्य संक्षेप में:

6. अपील के लिए आधार:

7. लगाया गया जुर्माना (रुपये में):

8. राहत मांगी गई:

9. संलग्नक:

(क) आदेश की प्रमाणित प्रति

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि के लिए प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति (यदि कोई हो)

(ग) मामले से संबंधित कोई अन्य संलग्नक

घोषणा

मैं.....प्रमाणित करता हूँ कि यहां ऊपर दी गई सभी जानकारी इस प्रारूप के साथ संलग्नक सहित सत्य, सही और पुरी है इस और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि समान मामले पर किसी भी प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई अन्य अपील, वाद, सिविल पुनरीक्षण या कोई अन्य विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

[एम-11017/5/2024-डीओ-(एफ सी)]

वृंदा मनोहर देसाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2024

G.S.R. 317(E)- In exercise of the powers conferred by sub-clause (cc) and sub-clause (cd) of sub-section (2) of section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement. (1)—These rules shall be called the Cinematograph (Adjudication of Penalty) Rules, 2024.

(1) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. (1)— In these rules, unless the context otherwise requires-

- (i) “Act” means the Cinematograph Act, 1952;
- (ii) “authorised officer” means an officer appointed by either the Central Government or the relevant State Government under sub-rule (1) of rule 3;
- (iii) “appellate authority” means an officer referred to in sub-rule (1) of rule 8; and
- (iv) “section” means any section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appointment of the authorised officer. (1) The Central Government may, by an order published in the Official Gazette, appoint such number of officers of the Central Government, not below the rank of Under Secretary, as authorised officers for adjudging penalty under the provisions of the Act.

(2) The State Government may, by an order published in the Official Gazette, appoint such number of officers of the State Government, not below the rank of an Additional District Magistrate or Additional Collector or Additional Deputy Commissioner of a District or Under Secretary in the State Government, as authorised officers for adjudging penalty under the provisions of the Act.

4. Powers of the authorised officer. The authorised officer shall exercise the following powers, namely:-

- (i) to enter the place of exhibition or authorise any officer to enter the place of exhibition and to report the violation, if any;
- (ii) to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case after recording reasons in writing; and
- (iii) to order for evidence, including video surveillance footage, ticket scans or to produce any document, which in the opinion of the authorised officer may be relevant to the subject matter.

5. Factors to be considered for adjudication of penalty. While adjudicating the quantum of penalty, the Authorised Officer shall have due regard to the following factors, namely:-

- (i) nature of the violation;
- (ii) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the violation.
- (iii) repetition of the violation; and
- (iv) balance of hardships.

6. Procedure for levying penalties. –

- (1) Before adjudging the penalty, the authorised officer shall issue a show cause notice to the person who is in default, to show cause within such period as may be specified in the notice (not being less than fifteen days and not more than thirty days from the date of service thereon), providing the reasons for which the penalty should not be imposed upon.
- (2) Every notice issued under sub-rule (1) shall, -
 - (i) clearly indicate the nature of violation alleged to have been committed or made by the person under the Act; and
 - (ii) draw attention to the relevant penalty provisions of the Act.
- (3) The reply to show cause notice shall be filed within the period specified in the notice which may be extended by the authorised officer, for reasons to be recorded in writing, by a further period not exceeding fifteen days, if the person satisfies the authorised officer that

such person has sufficient cause for not responding to the notice within stipulated period or if the authorised officer has reason to believe that the person has received a shorter notice and did not have reasonable time to respond.

- (4) After considering the reply to show cause notice provided by the person, if the authorised officer is of the opinion that physical appearance is required, the authorised officer shall issue a notice, within ten working days from the date of receipt of the reply, fixing a date for appearance of the person, either personally, or through authorised representative.
- (5) If any person, to whom a notice is issued under sub-rule (1), desires to make an oral representation, whether personally or through their authorised representative and has indicated the same in the reply to show cause notice, the authorised officer shall allow such person to make such representation after fixing a date of appearance.
- (6) After giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned on the date fixed for hearing, the authorised officer may, subject to reasons to be recorded in writing, pass any order in writing, including an order for adjournment.
- (7) After the hearing, the authorised officer may require the concerned person to submit a written reply on any other issues relevant to the determination of the violation.
- (8) If any person fails to reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) or sub-rule (4) or refuses to appear as required under sub-rule (5), the authorised officer may pass an order imposing the penalty in the absence of such a person after recording the reasons for doing so.

7. Passing and disclosure of the order of penalty. (1) The authorised officer shall pass an order deciding penalty, within ninety days from the date of issue of notice under sub-rule (1) of rule 6.

- (2) If an order is passed after the expiry of the period of ninety days as specified under sub-rule (1), the reasons for the delay shall be recorded by the authorised officer in writing.
- (3) No order passed by the authorised officer shall be invalid merely for the reason of delay in passing of order by the authorised officer.
- (4) Every order of the authorised officer shall be duly dated and signed by the authorised officer and shall clearly state the relevant facts, basis of the decision including the reasons for requiring the physical appearance under sub-rule (4) of rule 6.
- (5) The authorised officer shall send a copy of the order passed under sub-rule (1), without delay, to the following parties, namely: -
 - (a) the concerned person who is in violation or any other person concerning the violation;
 - (b) the licensing authority under section 11 of the Act; and
 - (c) the Chairman of the Central Board of Film Certification.
- (6) A copy of the order passed under sub-rule (1) shall also be uploaded on the website of Central Board of Film Certification.

8. Appellate authority.

- (1) An appeal against the order of the authorised officer passed under sub-rule (1) of rule 7 shall be filed in writing before the deputy secretary or director to the Central Government (where the authorised officer is the under secretary) or the district magistrate of the relevant district (where the authorised officer is the additional district magistrate).
- (2) Any appeal filed under sub-rule (1) shall be accompanied by a certified copy of the order against which the appeal is sought.
- (3) An appeal under sub-rule (1) must be filed within thirty days from the date on which a copy of the order of penalty made by the authorised officer under sub-rule (1) of rule 7 is received by the concerned person and, where justified, delay may be condoned by the appellate authority up to thirty days more, with reasons to be recorded in writing.
- (4) Any appeal under sub-rule (1) shall be filed in the form annexed to these rules accompanied by such fees as may be specified by the Central Government.
- (5) Where the aggrieved person is represented by an authorised representative, a copy of such authorisation in favour of the representative, in the form of an authorization letter, and the written consent of such authorised representative, shall be appended to the appeal.

- (6) An appeal filed under sub-rule (1) of this rule shall not seek relief against more than one order unless the reliefs prayed for under the appeal are consequential.

9. Procedure for appeal.

- (1) The Appellate Authority shall serve a notice along with a copy of the appeal, to the authorised officer against whose order the appeal has been preferred, requiring such authorised officer to file a reply within a period not exceeding twenty one days from the date of receipt of the notice.
- (2) Where an appeal is found to be defective, the appellate authority may allow the appellant not less than fourteen days following the date of receipt of intimation by the appellant from the appellate authority about the nature of the defects, to rectify the defects.
- (3) If the appellant fails to rectify the defects, the appellate authority may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days from the date of expiry of the time specified under sub-rule (2).
- (4) The appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in sub-rule (1), by a further period of twenty one days, if the authorised officer satisfies the appellate authority that there was sufficient cause for delay in filing reply to the appeal.
- (5) A copy of every reply, application or written representation filed by the authorised officer before the appellate authority shall be simultaneously served on the appellant, by the authorised officer.
- (6) The appellate authority shall issue notice of hearing of appeal to the appellant and the authorised officer, at least fifteen days before the date of hearing of the appeal.
- (7) The appellate authority may, at the time of hearing of an appeal, allow an appellant to add any ground of appeal not specified in the form of appeal annexed to the rules, if it is satisfied that the omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.
- (8) The appellate authority may fix a date for hearing and after making such further inquiry as may be necessary and subject to the reasons to be recorded in writing, pass any order as it thinks fit.
- (9) If the appellant or the authorised officer fails to appear on the date fixed for hearing, the appellate authority may pass an order in the absence of such person, after recording the reasons for passing such order.
- (10) The appellate authority shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of six months from the date of receipt of the appeal.
- (11) Where the issuance of order is stayed by an order of a court, the period of such stay shall be excluded in computing the period of six months for deciding the appeal.
- (12) Every order passed under this rule shall be dated and signed by the appellate authority.
- (13) A certified copy of every order passed by the appellate authority shall without delay be communicated to the authorised officer, the appellant, and the Chairman, Central Board of Film Certification.

10. Method of making payment of penalty.

The penalty shall be paid through the e-cinemapramaan portal only.

11. Consolidated Fund of India.

All sums realised by way of penalties under the Act shall be credited to the Consolidated Fund of India.

[See sub-rule (4) of rule 8]

FORM OF APPEAL**Particulars Of the Appeal**

In the matter of appeal against the order made by.....on date.....

1. Details of the appellant:

- (a) Full name of the appellant:
- (b) Address of the appellant:
- (c) Email ID of the appellant:

2. Details of the authorised officer:

- (a) Name of the authorised officer:
- (b) Address of the authorised officer:
- (c) Email ID of the authorised officer:

3. Appeal against order no.:

4. Section under which the penalty was imposed:

5. Facts of the case in brief:

6. Grounds for appeal:

7. Penalty imposed (in rupees):

8. Relief sought:

9. Attachments:

- (a) Certified copy of the order
- (b) Certified copy of authorisation letter for the authorised representative (if any)
- (c) Any other attachments relevant to the case

Declaration

I, _____, certify that all the information given hereinabove is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed. It is further declared that no other appeal, suit, civil revision or any other legal proceedings is pending before any authority on the similar matter.

.....
Signature of Appellant

[M-11017/5/2024-DO(FC)]

VRUNDA MANOHAR DESAI, Joint Secy.